न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिम्बा आर.ए.एस

राजस्व अपील सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2009	19.03.2009	3.10.16.

उनवान

1. मृतक माडी उर्फ छन्नो पुत्री मंगल पत्नी जलेसिंह पुत्र ज्ञानीराम जाति जाट निवासी बघाना तहसील कोटकासिम हाल काटरपुरी तहसील तावडू जिला मेवात नूंह(हरि0)

1/1 जिलेसिंह उम्र 80 साल पति माडी उर्फ छन्नो पुत्री मंगल

1/2 हरिओम उम्र 30 साल पुत्र

1/3 बिजेन्द्र उम्र 20 साल पुत्र

1/4 कविता उम्र 36 साल पुत्री

1/5 सन्तोष उम्र 40 साल पुत्री

1/6 केला देवी उम्र 38 साल पुत्री माडी उर्फ छन्नो पुत्री मंगल पुत्री जलेसिंह पुत्र ज्ञानीराम जाति जाट निवासी बघाना तहसील कोटकासिम हाल आवाद काटरपुरी तहसील तावडू जिला मेवात नूंह(हरि0)

2. धन्नो पुत्री मंगल उम्र 65 साल पुत्र हरदेव वेवा रामचन्दर पुत्र ज्ञानीराम जाति जाट निवासी बघाना तहसील कोटकासिम हाल आवाद काटरपुरी तहसील तावडू जिला मेवात (हरि0)

:–अपीलान्टान

बनाम

1. ग्राम पंचायत बघाना पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बघाना तहसील कोटकासिम
2. जगराम पुत्र छीतर दत्तक पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:–रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.01.1983 ग्राम पंचायत बघाना तहसील कोटकासिम रेस्पोडेन्टस बाबत इन्तकाल संख्या 228 वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपीलान्टान द्वारा एक अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18/1/1983 ग्राम पंचायत बघाना तहसील कोटकासिम बाबत इन्तकाल सं0 228 वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 18/1/1983 ग्राम पंचायत बघाना पंचायत समिति कोटकासिम की जानकारी अपीलान्टस से अन्दर मियाद इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 6/3/2009 को लेने से सर्वप्रथम हुई है। अतः अपील अपीलान्टस जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थनापत्र अनतर्गत धारा 5 कानून मियाद अलग से पेश किया है प्रार्थना पत्र व अपील हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस का दादा हरदेव था। जिसकी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम में कब्जे काश्त की आराजी स्थित थी। जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो जिसके दो पुत्र मंगलराम व रामकरण पैदा हुये। मंगलराम अपीलान्टस का पिता था। जिसके हम अपीलान्टस दो पुत्रीयां जायज वो विधिक उत्तराधिकारी हैं। रामकरण के कोई सन्तान नही थी। उसने अपने जीवनकाल में जगराम पुत्र छीतर को गोद ले लिया। हम अपीलान्ट के पिता मंगलराम की मृत्यु रामकरण से पहले हो चुकी थी। रामकरण शादीशुदा नहीं था, अविवाहित था। जिसने जगराम पुत्र छीतर रेस्पोडेन्टस सं0 2 को गोद ले लिया वो हम अपीलान्टस के पिता मंगलराम वो रामकरण जो कि दोनो सगे भाई थे। मंगलराम पहले वो रामकरण बाद में मृत्यु होने के कारण रेस्पोडेन्ट सं. 2 जगराम ने हम अपीलान्ट पिता मंगलराम वो अपने दत्तक पिता रामकरण की समस्त आराजयात का विवादित इन्तकाल समस्त का अपने नाम दर्ज वो स्वीकार कराया है। जो उसने गलत दर्ज कराया है। हरदेव मृतक दादा के वारिसान 1. मंगलराम 2. रामकरण (अविवाहित) थे इनकी मृत्यु के बाद 1. मंगलराम मृतक के वारिसान अ. माडी अर्फ छन्नों ब. घन्नों है। 2. रामकरण मृतक (अविवाहित) का वारिस जगराम गोद का पुत्र है। इस प्रकार हरदेव दादा की चल वो अचल सम्पति पैतृक ऐन्सेसटल प्रोपर्टी मे अपीलान्टस का 1/2 हिस्सा वो जगराम का 1/2 हिस्सा है परन्तु उसने हम अपीलान्टस के पिता मंगलराम की मृत्यु रामकरण से पहले हो जाने पर समस्त आराजीयात का विवादित इन्तकाल सालिम का गलत दर्ज कराया है हम अपीलान्टस के पिता ने अपने जीवन काल मे रेस्पोडेन्टस सं0 2 को कोई वसीयत नही कराई, नाही कोई वसीयत तहरीर तकमील कराकर पंजीबद्व कराई, ना ही कोई अंगूठे किये। रेस्पोडेन्टस न0 2 की धोखाधडी पर आधारित है। जो उसने हम अपीलान्टस की आराजी को हडप करने की नियत से कूटरचना की होगी । वास्तव मे कोई वसीयत हम अपीलान्टके पिता ने रेस्पाडेन्ट सं0 2 के हक मे नही कराई। जो वसीयत तथाकथित इन्तकाल मे दर्ज है। वह फर्जी वो नुमायशी है। जिसके आधार पर उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त जेरे अपील इन्तकाल दर्ज व स्वीकार करते समय अपीलान्ट को नहीं सुना गया वो

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 से मिलकर व साजबाज होकर यह जेरे इन्तकाल संख्या 228 दिनांक 18.01.1983 स्वीकार कराया है। जिसके विरुद्ध यह अपील अपीलान्टस की ओ से पेश है। निर्णय अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट सं0 1 तथ्यों एव कानून के विपरीत पारित किया गया है। जो निर्णय अदालत मातहत बाबत इन्तकाल हरसूरत निरस्त किये जाने योग्य है। वो हम पुत्रीयान मंगलराम के जायज वो उत्तराधिकारी होने के कारण हरदेव दादा की विरासत मे हमारे पिता मंगलराम का 1/2 हिस्सा आराजीयात मे होने के कारण इन्तकाल 1/2 हिस्सा आराजी का हम अपीलान्टट के नाम स्वीकार योग्य है। इन्तकाल जेरे अपील जो जगराम दत्तक पुत्र रामकरण के नाम सारी आराजी का स्वीकार किया है वो खिलाफ कानून वो खिलाफ मौका होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल जेरे अपील स्वीकार करते समय अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट सं0 1 ग्राम पंचायत बघाना ने मृतक मंगलराम के जायज वो विधिक वारिसान की बाबत कोई जॉच नही की नाही हम अपीलान्टस को कोई सूचना दी गई, ना ही हम अपीलान्टस को सुना गया। इन्तकाल दर्ज वो स्वीकार करते समय हम अपीलान्टस जो कि मृतक मंगलराम की जिन्दा पुत्रीया थी, मौजूद तब भी थी, वो आज भी है, को नही सुना गया। वो रस्पोडेन्ट सं0 2 ने रस्पोडेन्ट सं0 1 एक से मिलकर यह इन्तकाल स्वीकार कराया है। जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। व अपील अपीलान्टस काबिल स्वीकार है। हम अपीलान्टस के पिता मंगलराम जो कि जीवनपर्यन्त हम अपीलान्टस की देख भाल करते रहे। आराजी को काश्त करते रहे। उसने अपने जीवनकाल मे कभी किसी को या रेस्पोडेन्ट सं0 2 को कोई वसीयत नही की, ना ही अपने निशान अंगूठा किये। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 जो कि पर्दानसीन ओरत है। जिन्हे कानून की जानकारी नही है। उनकी नाजायज अनुचित स्थिति का लाभ उठाते हुये व अपीलान्ट की आराजी को हडप करने की नियत से कोई फर्जी व नुमाइशी वसीयतनाम की कूटरचना की है। जिससे अपीलान्ट पाबन्द नहीं है। अदालत मातहत ने इन्तकाल दर्ज वो स्वीकार करते समय हम अपीलान्ट को नही सुना, ना ही किसी प्रकार कि सूचना दी, नाही कोई किसी प्रकार वारिसान या कब्जा आदि की जॉच की गई। इसलिए इन्तकाल जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है वो अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है। ग्राम पंचायत बघाना के निर्णय मे मात्र तीन पंच के ही हस्ताक्षर है जिससे जाहिर है कि कोरम पूरा नही था। सभी पंचान उपस्थित नही थे। अपूर्ण कोरम था। जिससे भी जाहिर है कि रेस्पो0 2 ने रेस्पों0 1 से मिलीभगत वो साजबाज होकर इन्तकाल जेरे अपील स्वीकार कराया है। जो इन्तकाल जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है। वो अपील अपीलान्टा काबिल स्वीकार है। विवादित जेरे इन्तकाल मे दर्ज आराजीयात अपीलान्टस के दादा हरदेव की थी। विवादित आराजी रामकरण पुत्र हरदेव वो हम अपीलान्टस के पिता मंगल राम की स्वयं की पैदा कर्दा नही थी। कानूनन स्वयं की पैदाकर्दा सम्पति की ही वसीयत की जा सकती है। इसलिए भी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

इन्तकाल जेरे अपील मे जो वसीयतनामा का हवाला दिया है। खिलाफ कानून है, फर्जी वो नुमायशी है। जो हम अपीलान्टस की आराजी को हडप करने के नियत से कूटरचना की गई है। फर्जी वसीयतनामा तैयार कराकर हम अपीलान्टस के 1/2 हिस्से की भी आराजी का रेस्पोडेन्टस सं0 2 रेस्पोडेन्टस 1 के मिलकर इन्तकाल जेरे अपील स्वीकार कराया है। खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टस 2 जो की चालाक प्रवृति का व्यक्ति है। जो पहले हमारे पिता की मृत्यु के बाद शादी विवाह मे बुला लेता था । अब बुलाना बन्द कर दिया । वो आराजी से दिनांक 6/3/2009 को बेदखल करने की धमकी देने वो अपने नाम इन्तकाल दर्ज कराने की बात कही। जिस पर हम अपीलान्टस ने पटवारी हल्का से जानकारी की, तो उन्होने बताया की रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने हरदेव के दोनो पुत्रान मंगलराम वो रामकरण की सालिम आराजी का इन्तकाल अपने नाम स्वीकार करा लिया। वो रिकार्ड में अब आराजी रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम है जिस पर दिनांक 6/3/2009 को तहसील कोटकासिम मे आकर जानकारी की। इन्तकाल के लिए दिनांक 6/3/2009 को प्रार्थनापत्र पेश किया। दिनांक 6/3/2009 को इन्तकाल जेरे अपील की नकल लेने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पूर्व हम अपीलान्ट को इस इन्तकाल बाबत किसी प्रकार क़ी जानकारी नही थी । दिनांक 7.03.2009 को शनिवार होने पर कानूनी सलाह ली। दिनांक 8.03.2009 को रविवार होने व 9.03.2009 कानूनी सलाह व 10–11–12 मार्च 12 मार्च को कानूनी सलाह दी कि अपील इन्तकाल की जावे व 13–14 मार्च का द्वितीय शनिवार व रविवार का अवकाश होने पर आज बिला देरी के अपील दायर की जा रही है। दिनांक 18.01.1983 से नकल मिलने तक 6.03.2009 तक की देरी कन्डोन के लिऐ अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसे स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद तसव्वुर मानी जावे। अतः अपील अपीलान्टस की ओर से पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 18/1/1983 ग्राम पंचायत बघाना रेस्पोडेन्टस सं0 1 बाबत इन्तकाल सं0 228 वाके ग्राम बघाना निरस्त किया जावे। इन्तकाल मे दर्ज आराजीयात के 1/2 हिस्से की आराजी हम अपीलान्टस के पिता मंगलराम पुत्र हरदेव की होने के कारण इन्तकाल मंगलराम की विरासत का हम अपीलान्टस के नाम दर्ज वो स्वीकार किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर दिया गया।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र दफा 5 पेश किया गया कि अपीलान्टान ने मिथ्या कथनो के आधार पर अपील पेश की है जिसमे अपीलान्टान को सफलता की कतई भी उम्मीद नही करनी चाहियें। वास्तविकता यह है

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

कि निर्णय अदालत मातहत द्वारा सही परिपेक्ष्य मे सम्पूर्ण तथ्यो का विशलेषण कर विधि अनुरूप रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 01/06/1972 कमांक 3 कार्यालय उप–पंजियक कोटकासिम वसीयतकर्ता मंगल पुत्र हरदेव जाति जाट ग्राम बघाना की प्रथम व अंतिम वसीयत के अनुक्रम मे विधि अनुरुप दिनांक 18/01/1983 का आदेश पारित किया है। जो कि दिनांक 18/01/1983 से ही अपीलान्टान की नोलेज जानकारी मे था। अतः दफा 5 मियाद अधिनियम मे अपीलान्टान किसी भी रूप से डिले कन्डोन कराने के अधिकारी नही है और ना ही पारित आलोच्य आदेश को निरस्त कराने के अधिकारी है। मंगल पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी ग्राम बघाना ने अपनी तमाम चल व अचल सम्पति की वसीयत मिन रेस्पा0 सं0 2 जगराम के नाम दिनांक 1/06/1972 को की, क्योकि मिन रेस्पोडेन्ट ही मृतक मंगल की सेवा टहल व देखभाल करता था। मिन रेस्पेाडेन्ट की सेवा टहल व देख भाल से खुश होकर मृतक मंगल ने अपनी चल व अचल सम्पति की वसीयत मिन रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पक्ष मे की है। मिन रेस्पां0 2 सम्पूर्ण सामाजिक कार्य अपीलान्टान के छूछक, भात व अन्य रस्में आज भी समय समय पर पूरी करता चला आ रहा है। आदेश दिनाक 18/01/1983 मृतक की रजिस्टर्ड वसीयत के अनुरूप अंतिम इच्छा के रूप मे आदेश पारित किया। जो आदेश अपीलान्टान की जानकारी मे उसी रोज से था और उससे वे सहमत थी। वसीयत फर्जी नुमायशी न होकर रजिस्टर्ड वसीयत थी जो कि उप–पंजियक अधिकारी कोटकासिम से पंजिबद्व व तस्दीक हुई है। जो कि आज भी स्टैण्ड कर रही है। क्योकि अपीलान्टान ने कभी भी उक्त वसीयत को आज तक किसी भी न्यायलय मे चैलेंज नही किया है। अपीलान्टान ने पूर्व में भी इस बाबत एक वाद एसडीओ किशनगढबास (अलवर) में कर चुकी है। जो वाद खारिज हो चुका है। फिर अपीलान्टान का यह कहना कि दिनांक 18.01.1983 से 08.03.2009 तक किसी प्रकार से उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। सरासर झूंठ है। उक्त अवधि किसी भी रूप से डिले कन्डोन कराने के अपीलान्टान अधिकारी नही है। अपीलान्टान पोते पडपोते प्राप्त बुजुर्ग महिलायें है। जिनके समस्त सामाजिक रिति रिवाज हिन्दु धर्मानुसार मिन रेस्पोडेन्ट न0 2 जगराम द्वारा समय –समय पर पूरे किये है। आज भी कर रहा है व समस्त शादी विवाह मे वसीयतकर्ता मंगल की मृत्यु दिनांक 16/10/1982 के बाद से आज तक अपीलान्टान को बुला रहा है और उनका मान– सम्मान करता चला आ रहा है। अपीलान्टान ने सरासर झूंठी मिथ्या वो लालच के वसीभूत अपील पेंश की है। मिन रेस्पोंडेन्ट न. 2 ने 1983 से अब तक एक इंच भूमि का बेंचान नही किया है। अपीलान्टान का यह कथन कि दिनांक 6.03.2009 से पूर्व उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी गलत वर्णित तथ्यों से स्वयं ही साबित है कि सम्पूर्ण अपीलान्टान की जानकारी में दिनांक 1.06. 1972 से ही थी ऐसे में जानकारी का दिनांक 1.06.1972 है ना कि 6.03.2009। अपीलान्टान को जानकारी दिनांक 1/06/1972 से सम्पूर्ण वाकयात की थी। मियाद

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अधिनियम के अनुसार मियाद एक बार चलाना प्रारंभ हो जाती है तो संबधित पक्ष को प्रत्येक दिन की सपोर्ट मे आवश्यक सबूत पेंश करने चाहियें । जिससे कानून की पालना सुनिश्चित की जा सके । अपीलान्टान की अपील कल्पना व मिथ्या वर्जन पर आधारित है। अतः दफा 5 मियाद अधिनियम मय हर्जा खर्चा काबिल खारिज है। प्रार्थनापत्र विधि विरूद्व पेश होने की वजह से काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे । अतः जबाब प्रार्थनापत्र मिन रेस्पोडेन्ट सं0 2 जगराम की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्टान डिले कडोन 18/1/1983 से 6/03/2009 प्राप्त करने की अधिकारी नही है। इसलिये दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे एव अपील अपीलान्ट की स्वीकार नही की जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मृतक मंगल के दो पुत्रियां माडी व धन्नों वारिस थी जिनका विवादित भूमि नामान्तरण में 1/2 दर 1/6 हिस्सा है। विवादित जायदाद पैतृक सम्पति है। इन्तकाल सं0 228 निर्णय दिनांक 18.01.1983 में कालम नं0 9 में प्रथम बार माडी व धन्नों का नाम कालम नं0 9 में दर्ज किया था जो बिना अपीलान्टान को नोटिस दियं काट दिया। व जगराम का नाम दर्ज कर दिया। इस बाबत नातो पटवारी ने और नाही ग्राम पंचायत ने कोर्ठ सूचना व नोटिस मिन अपीलान्टान को नहीं दियां जगराम का नाम वसीयत के आधार पर जोडा गया। ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में वसीयत के प्राप्ट होने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया । ग्राम पंचायत के इस गलत फेसले े सम्बन्ध में जानकारी मिन अपीलान्टान को सर्वप्रथम दिनांक 06.03.2009 को हुई। जब उसने बेदखल करने की धमकी दी। दिनांक 08.03.200 को नकल प्राप्त की गई। 10 से 15 का अवकाश होने से दिनांक 16.09.2009 को अपील पेश की गई। मिन अपीलान्टान को दिनांक 18.01.1983 के निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 06.03.2009 को जानकारी हुई, क्योंकि मिन अपीलान्टा बाहर रहती है। इसलिये 18.01.1983 से 06.03.2009 की अवधि को कन्डोन किया जावे। अपीलान्टा के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1985 पेज 691 माननीय राजस्व मण्डल पेश किया। जिसमे यह प्रतिपादित किया हैकि जानकारी की दिनांक से सीमा आरम्भ होती है। टैक्नीकल ग्राउन्ड से किसी को न्याय से वंचित नही किया जा सकता। आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट 2 पेज 262 में बताया किय इस निर्णय में 32 वर्ष की अवधि कन्डोन की गई है। डिले के पीरियड की लैन्थ नहीं देखी जाती है। न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट 1 पेज 543, आरएलडब्ल्यू 2009 पार्ट 3 पेज

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (बबेरा)

Scanned by CamScanner

00 पेश किये। जिसके बताया कि पुत्रियां पिता की जायदाद में प्रथम श्रेणी की वारिस है। अतःदेरीना अवधि कन्डोन की जा। अपील मन्जूर की जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपील मिथ्या तथ्यों पर पेश की गई है। आलोच्य इन्तकाल 228 वसीयत दिनांक 01.06. 1972 के आधार पर दिनांक 18.01.1983 को स्वीकार किया गया। जो अपीलान्टान की जानकारी में था। अपील गोलमोल प्रकार से पेश की गई है। रेस्पो 2 समय समय पर अपीलान्टा का भात छुछक भरता रहा है। रजिस्टर्ड वसीयत सिविल न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया गया। अपीलान्टान का किशनगढवास न्यायालय में भी खारिज हुआ है। अपील 26 वर्ष बाद विलम्ब से पेश की गई। इन्तकाल में नाम में काट छांट है। जबकि निर्णय में कोई काट छांट नहीं की गई। दफा 5 प्रार्थनापत्र व अपील खारिज किये जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के वि द्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। आलोच्य नामान्तकरण के निर्णय का अवलोकन किया गया। बपीलान्टान द्वारा आलोच्य नामान्त्करण से सम्बन्धित आराजी को पैतृक सम्पति बताया है। तथा स्वयं अपीलान्टा को मृतक मंगल की विधिक ाारिसान होना बताया है। नामान्त्करण 228 के निर्णय 18.01.1983 बावत अपीलान्टान को जानकारी 06.03.2009 को होना बताया है। जो लगभग 26 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद हुई है। जबकि अपीलानगण द्वारा स्वंय रेस्पों 2 द्वारा उनका छुछक भात भरना स्वीकार किया है। इससे इस बात/इन्तकाल रेस्पो02 की कजानकारी नहीं होने के प्रश्न पर विश्वास नहीं किया जासकता। आलोच्य इन्तका पंजीकृत वसीयतनाम के आधार पर दर्ज व स्वीकार किया गया हैं जो एक फिस्कल कार्यवाही है। जा स्वत्व/हक की घोषणा के लिये सुसंगत कार्यवाही नहीं है। यदि अपीलान्टान जायदाद को पैतृक होना बताती है। इस बावत अपीलान्टागण को वाद के कजरिये अपना पक्ष साबित करना होता हैं पैतृक जायदाद के हक नामान्तकरण में तय नहीं होते है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत पंजीकृत के आधार पर दर्ज कर कोई अवैध कार्यवाही नहीं की गई। अपीलान्टागण का प्रार्थनापत्र मियाद अधि0 दफा 5 व अपील खारिज योग्य है।

आदेश

ग्राम बघाना के इन्तकाल सं0 228 के बावत ग्राम पंचायत बघाना का निर्णय दिनांक 18.01.1983 के सम्बन्ध में अपीलान्टागण का प्रार्थनापत्र दफा 5 व अपील खारिज किये जाते है। पत्रावली निर्णय शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्ड़ी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner